



Mobile : 94142-81875
e-mail : bharatbhushancharaya@gmail.com

File No. 01/08

Bharat Bhushan Charaya

Advocate

24-C Prem Nagar, Sri Ganganagar.

SEARCH REPORT AND TITLE CERTIFICATE

Owner : Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjan Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar.

Project : Ridhi Sidhi Enclave-07, Sector-2, L Block, Sri Ganganagar.

Property : Residential Converted Land, measuring 0.7128 Hect., situated in Sq. No. 18, Killa No. 7/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 8/4 (0.1015 Hect.), Killa No. 13/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 14/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 17/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 18/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 23/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 24/1 (0.0767 Hect.), Total 0.7128 Hect. of Chak 5-Z, Teh. & Distt. Sri Ganganagar.

Dated: 12.08.2024

The Manager,
Rajasthan Real Estate Regulatory Authority,
2nd and 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan,
Tilak Marg, C-Scheme, JAIPUR

Dear Sir,

Sub : Title Legal Opinion on Investigation of Title (Search Report) certifying Non-Encumbrances of the Residential Converted Land, measuring 0.7128 Hect., situated in Sq. No. 18, Killa No. 7/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 8/4 (0.1015 Hect.), Killa No. 13/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 14/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 17/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 18/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 23/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 24/1 (0.0767 Hect.), Total 0.7128 Hect. of Chak 5-Z, Teh. & Distt. Sri Ganganagar belonging to Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjana Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar.

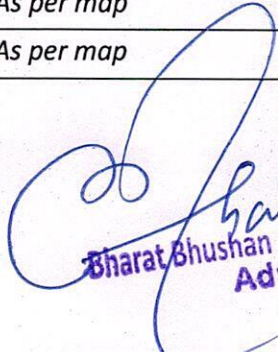
Project: Ridhi Sidhi Enclave-07, Sector-2, L Block, Sri Ganganagar.

I, Bharat Bhushan Charaya Advocate has investigated the title of Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjana Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar (name of the owner) to the immovable property Residential Converted Land, measuring 0.7128 Hect., situated in Sq. No. 18, Killa No. 7/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 8/4 (0.1015 Hect.), Killa No. 13/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 14/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 17/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 18/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 23/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 24/1 (0.0767 Hect.), Total 0.7128 Hect. of Chak 5-Z, Teh. & Distt. Sri Ganganagar on the basis of the title deed/s and other documents (more particularly described in Schedule I), Encumbrance Certificates, the discussion I had with the Owner, the Revenue Authorities and searches carried out by me in the Office of the Sub-Registrar, Sri Ganganagar, inspection of the records (relating to the litigation) in the Court/s which has jurisdiction over the said immovable property. My report on the title is as under :

1. Description of the Immovable properties :

All the piece and parcels of immovable property Residential Converted Land, measuring 0.7128 Hect., situated in Sq. No. 18, Killa No. 7/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 8/4 (0.1015 Hect.), Killa No. 13/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 14/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 17/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 18/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 23/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 24/1 (0.0767 Hect.), Total 0.7128 Hect. of Chak 5-Z, Teh. & Distt. Sri Ganganagar and bounded as under :

On or towards East by	As per map
On or towards West by	As per map
On or towards North by	As per map
On or towards South by	As per map


Bharat Bhushan Charaya
Advocate

2. History of Title:

I have inspected the relevant record of the said property in the office of Sub Registrar Sri Ganganagar for the last 13 years i.e. from 2012 to 2024 and upto date. Inspection receipt no. 202402103027958 dt. 12.08.2024 is enclosed herewith.

That, Agriculture land, measuring 4.0931 Hect., situated in Khata No. 4/2, Sq. No. 2, Killa No. 3 to 5, 6/3, 6/4, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/4, 11/5, 12/4 (1.3589 Hect.), Sq. No. 18, Killa No. 7/1, 8/1, 14/1, 17/1, 24/1 (0.4448 Hect.), Sq. No. 25, Killa No. 1/2, 2/1, 9/1, 10/1, 11/2, 12/1, 19/1, 20/1, 21/5, 21/6, 22/3, 22/4 (0.7465 Hect.), Sq. No. 26, Killa No. 3/7, 3/8, 4/1, 4/5, 4/9, 4/11, 5/3, 5/7, 6/2, 7/2, 7/5, 8/3, 13/4, 14/2, 14/3, 15/1, 16/2, 17/2, 17/5, 18/3, 23/7, 23/8, 24/1, 24/2, 24/5, 24/6, 25/3, 25/4 (1.5429 Hect.), Total 4.0931 Hect.-Nahri-Baag with Gharelu Rasta of Chak 5-Z, Teh. & Distt. Sri Ganganagar stands in the name of **Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director & Authorized Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjana Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar, as per Jamabandi for Samvat 2070-2073.**

That, later on 0.7128 Hect., Agriculture land situated in Sq. No. 18, Killa No. 7/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 8/4 (0.1015 Hect.), Killa No. 13/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 14/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 17/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 18/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 23/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 24/1 (0.0767 Hect.), Total 0.7128 Hect. of Chak 5-Z, Teh. & Distt. Sri Ganganagar was converted for the purpose of residential use by the UIT, Sri Ganganagar u/s 90 (A) of Rajasthan Land Revenue Act 1956 vide his Order No. LU2012/SGN/2024-25/101030 dated 07.06.2024 in the name of **Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjana Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar.**

3. Minor's Interest / HUF Property :

No

4. Mutation of the name of the owner in revenue records :

Yes.

5. Possession:

Yes, the aforesaid property is in physical possession of the owner.

6. Payment of municipal/ local taxes /cess/ development charges etc. :

Yes

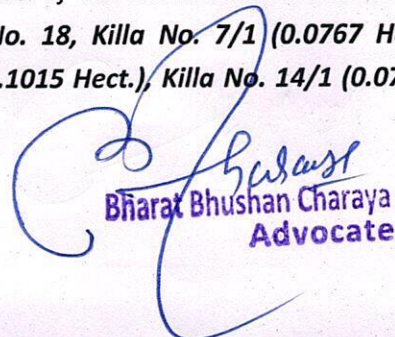
7. Applicability of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (ULCRA):

The said property does not come under Urban Land (C & R) Act 1976.

8. Searches :

i) Searches in the Office of Sub-Registrar of Assurance:

I have search the relevant record of the **Residential Converted Land, measuring 0.7128 Hect., situated in Sq. No. 18, Killa No. 7/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 8/4 (0.1015 Hect.), Killa No. 13/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 14/1 (0.0767 Hect.), Killa No.**


Bharat Bhushan Charaya
Advocate

17/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 18/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 23/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 24/1 (0.0767 Hect.), Total 0.7128 Hect. of Chak 5-Z, Teh. & Distt. Sri Ganganagar for the last 13 years (Search Receipt enclosed) and found that the aforesaid property stands in the name of Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjana Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar.

ii) **Lispendens :**

There are no case pending regarding the aforesaid property in any court or in any office.

9. **Conclusion and Recommendations:**

Keeping in view of the above it is to be certify that **Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjana Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar** are full owners above said property **Residential Converted Land**, measuring **0.7128 Hect.**, situated in **Sq. No. 18, Killa No. 7/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 8/4 (0.1015 Hect.), Killa No. 13/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 14/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 17/1 (0.0767 Hect.), Killa No. 18/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 23/2 (0.1015 Hect.), Killa No. 24/1 (0.0767 Hect.), Total 0.7128 Hect. of Chak 5-Z, Teh. & Distt. Sri Ganganagar.**

10. **Certificate**

I certify that **Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjana Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar** (name of owner) have a valid, clear and marketable title to the immovable property stated above and is free from all encumbrances.

Enclose:

Search Receipt No. 202402103027958

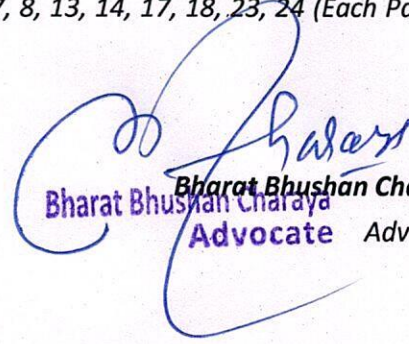
Dated : 12.08.2024

Sub-Registrar, Sri Ganganagar


Bharat Bhushan Charaya
Advocate

ANNEXURE 'A'

1. Photocopy of Jamabandi for Samvat 2070-2073 of Khata No. 4/2, Sq. No. 2 (1.3589 Hect.), Sq. No. 18 (0.4448 Hect.), Sq. No. 25 (0.7465 Hect.), Sq. No. 26 (1.5429 Hect.), Total 4.0931 Hect. of Chak 5-Z, Teh. & Distt. Sri Ganganagar in the name of **Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director & Authorized Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjana Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar.**
2. Photocopy of Conversion Order No. LU2012/SGN/2024-25/101030, dated 07.06.2024 issued by UIT, Sri Ganganagar in the name of **Bhumi Laxmi Vanijya Pvt. Ltd., through Director Sh. Sunil Goyal S/o Sh. Niranjana Lal Goyal R/o RJ-01, Ridhi Sidhi Enclave, Sri Ganganagar.**
3. Photocopy of Approved Lay Out Plan of Killa No. 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 (Each Part) of Sq. No. 18 of Chak 5-Z, Teh. Sri Ganganagar.


Bharat Bhushan Charaya
Advocate Advocate

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : GANGANAGAR

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 12-08-2024 12:50 PM

Fee Receipt No	: 202402103027958	Receipt Date	: 12/08/2024
Name	: ADV. BHARAT BHUSHAN CHARAYA, BHUMI LAXMI VANIJYA PVT. LTD.	Document S. No.	: 202401103027730
Address	: SRIGANGANAGAR		
Document Type	: Inspection And Search		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 650
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 650
From Year 2012 To Year 2024		Total Amount	: ₹ 650

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 93064456 ₹ 650

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

श्री गंगानगर पंजीयक
SUB-REGISTRAR (गज.)
श्री गंगानगर



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 2

ग्राम का नाम :- 5 जैड

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2070 - 2073

पटवार हल्का :- 4 जैड

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- चक महाराजका

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- गंगानगर

खाता संख्या नया :- 4

जिला :- गंगानगर

खाता संख्या पुराना :- 2

काश्तकार का नाम :-

1. BhumiLaxmi Vanijya Private Limited हिस्सा- पूर्ण जाति- NA. Office Address 21 G C Avenue 5th Floor room no. 2 kolkatta
खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
प.न. 0			स्वीकृत नामांतरकरण : 115 06/10/2021बेचान	
मु.न. 2			स्वीकृत नामांतरकरण : 116 18/10/2021बेचान	
कि.न. 3	0.0760 नहरी	0.0760	स्वीकृत नामांतरकरण : 121 20/10/2021विरासत	
4	0.2020 नहरी	0.2020	स्वीकृत नामांतरकरण : 122 30/11/2021बेचान	
5	0.2020 नहरी	0.2020	स्वीकृत नामांतरकरण : 123 03/12/2021बेचान	
6/3	0.0656 नहरी	0.0656	स्वीकृत नामांतरकरण : 125 22/10/2021उपहार	
6/4	0.0328 नहरी	0.0328	स्वीकृत नामांतरकरण : 126 27/10/2021बेचान	
7/2	0.2024 नहरी	0.2024	स्वीकृत नामांतरकरण : 127 10/11/2021बेचान	
8/2	0.2024 नहरी	0.2024	स्वीकृत नामांतरकरण : 132 06/01/2022बेचान	
9/2	0.1394 नहरी	0.1394	स्वीकृत नामांतरकरण : 139 07/04/2022बेचान	
10/2	0.0540 नहरी	0.0540	स्वीकृत नामांतरकरण : 145 22/02/2022वसीयत	
11/4	0.0675 नहरी	0.0675	स्वीकृत नामांतरकरण : 151 12/04/2022बेचान	
11/5	0.0675 नहरी	0.0675	स्वीकृत नामांतरकरण : 155 24/05/2022विभाजन	
12/4	0.0473 नहरी	0.0473	स्वीकृत नामांतरकरण : 161 17/06/2022बेचान	
कुल किता : 12	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल नहरी	1.3589 0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 169 07/07/2022न्याया. आदेश	
मु.न. 18			स्वीकृत नामांतरकरण : 190 21/10/2022बेचान	
कि.न. 7/1	0.0767 नहरी	0.0767	स्वीकृत नामांतरकरण : 215 20/03/2023बेचान	
8/3	0.0115 नहरी	0.0115	स्वीकृत नामांतरकरण : 224 10/05/2023न्याया. आदेश	
8/4	0.1265 नहरी	0.1265	स्वीकृत नामांतरकरण : 233 18/07/2023बेचान	
13/2	0.1265 नहरी	0.1265	स्वीकृत नामांतरकरण : 241 08/08/2023बेचान	
14/1	0.0767 नहरी	0.0767	स्वीकृत नामांतरकरण : 266 04/11/2023न्याया. आदेश	
17/1	0.0767 नहरी	0.0767	स्वीकृत नामांतरकरण : 270 18/12/2023न्याया. आदेश	
			स्वीकृत नामांतरकरण : 283 13/05/2024न्याया. आदेश	

यू.एस.एन - 285526999428340

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=285526999428340>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NAND LAL

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 13/May/2024 03:09:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 2 of 2

ग्राम का नाम :- 5 जैड
पटवार हल्का :- 4 जैड
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- चक महाराजका
तहसील :- गंगानगर
जिला :- गंगानगर
18/2 0.1265 नहरी 0.1265
23/2 0.1265 नहरी 0.1265
24/1 0.0767 नहरी 0.0767

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2070 - 2073
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 4
खाता संख्या पुराना :- 2

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

कुल किता : 9
भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल
नहरी 0.8243 0.00

कुल किता : 22
भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल
नहरी 2.1832 0.00
0.0000 0.00

कुल खसरे -21 2.1832

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - Ss
प्रतिलिपि सं. - 207949
दिनांक व समय -13/May/2024 06:27:00 PM

पता - Sgnr
आई.पी. - 10.70.244.252
नकल जारी करने का स्थान - गंगानगर

यू.एस.एन - 285526999428340

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=285526999428340>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NAND LAL
हस्ताक्षर दिनांक व समय - 13/May/2024 03:09:00 PM

पद - तहसीलदार



NIC



नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
राजस्थान सरकार



क्रमांक:- LU2012/SGN/2024-25/101030

दिनांक :- 07/06/2024

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

मामले के संबंधित तथ्य निम्नानुसार है :

आदेश

भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जारिये डायरेक्टर श्री सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरजे-01, सिद्धि सिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर।

- ऊपर भाषित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	चक 5. जेड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जारिये डायरेक्टर श्री सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल	चक 5 जेड मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 7/1 में 0.0767 हेक्टे. किला नं. 8/4 में 0.1285 हेक्टे. में से 0.1015 हेक्टे. किला नं. 13/2 में 0.1265 हेक्टे. में से 0.1015 हेक्टे. किला नं. 14/1 में 0.0767 हेक्टे. किला नं. 17/1 में 0.0767 हेक्टे. किला नं. 18/2 में 0.1285 हेक्टे. में से 0.1015 हेक्टे. किला नं. 23/2 में 0.1265 हेक्टे. में से 0.1015 हेक्टे. किला नं. 24/1 में 0.0767 हेक्टे. यथाकुल 0.7128 हेक्टेयर	कुल 0.7128 हेक्टेयर

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुलेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा, और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकरण की सहगति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रमारों के निक्षेप और सुरंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।
- इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुरंगति विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अघोहरताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 07/06/2024 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
दिनांक :- 07/06/2024

क्रमांक:- LU2012/SGN/2024-25/101030

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रोपित की गयी-

- तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि आवेदित भूमि को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के नाम नामान्तरण/हस्ताकाल 7 दिवस के अन्तर्गत दर्ज कर ऑन लाईन अपलोड कर अनुपालना सुनिश्चित करें।
- भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जारिये डायरेक्टर श्री सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरजे-01, सिद्धि सिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर (खातेदार)

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर



नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
राजस्थान सरकार



क्रमांक :- LU2012/SGN/2023-24/100859

दिनांक :- 17/11/2023

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

भागले के सशिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरक्षू-12, सिद्धि सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर।

- उपर नाभित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./ भूमि का विवरण	क्षेफलफल (हेक्टेयर)
1	चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल	चक 5 जैड मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 7/1, 14/1, 17/1 व 24/1 प्रत्येक में 0.0767 हेक्टे. किला नं. 8/1 में 0.138 हेक्टे. में से 0.1265 हेक्टे. किला नं. 13 की 0.253 हेक्टे. में से 0.1265 हेक्टे. किला नं. 18 की 0.253 हेक्टे. में से 0.1265 हेक्टे. किला नं. 23 की 0.253 हेक्टे. में से 0.1265 हेक्टे. यथाकुल 0.8128 हेक्टेयर	कुल 0.8128 हेक्टेयर

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा, और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकरण की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।
- इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अघोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 17/11/2023 को पारित किया गया है :

(क.ए.)

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
दिनांक :-

क्रमांक :- LU2012/SGN/2023-24/100859

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रपिप्त की गयी-

तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि आवेदित भूमि को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के नाम नामान्तरण/इन्तकाल 7 दिवस के अन्तर्गत दर्ज कर ऑन लाईन अपलोड कर अनुपालना सुनिश्चित करें।

भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरक्षू-12, सिद्धि सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर (खातेदार)

प्राधिकृत अधिकारी



नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
राजस्थान सरकार



क्रमांक :- प्रा.अ./यूआईटी/९०-ए/२०२४/

दिनांक :-

आदेश

चक 5 जैड मुख्या नं. 18 के किला नं. 7/1, 14/1, 17/1 व 24/1 प्रत्येक में 0.0767 हैक्टे. किला नं. 8/1 में 0.138 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. किला नं. 13 की 0.253 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. किला नं. 18 की 0.253 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. किला नं. 23 की 0.253 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. यथाकुल 0.8128 हैक्टेयर भूमि की राजस्थान भू-राज्य अधिनियम 1956 की धारा 90-ए एवं राजस्थान अभिपूति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार भूमि पर अभिपूति अधिकार निवापित कर आदेश क्रमांक LU2012/SGN/2023-24/100859 दिनांक 17.11.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आदेश जारी किये गये। उक्त भूमि जरिये इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में भूमि नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के नाम दर्ज हो चुकी है।

खातेदार भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरक्यू-12, रिद्धि रिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर द्वारा चक 5 जैड मुख्या नं. 18 के किला नं. 7/1, 14/1, 17/1 व 24/1 प्रत्येक में 0.0767 हैक्टे. किला नं. 8/1 में 0.138 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. किला नं. 13 की 0.253 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. किला नं. 18 की 0.253 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. किला नं. 23 की 0.253 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. यथाकुल 0.8128 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर आवासीय प्रयोजनार्थ कोई भी गतिविधियां संवाहित करने में सक्षम नहीं हैं तथा आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित की गई भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन हेतु करना चाहता है। मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि मौके पर रिक्त है।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.03(313)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 11.02.2020 एवं परिपत्र क्रमांक प.2 (7) नविवि/ नियम/ 2018 दिनांक 18.07.2018 तथा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश सं. प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट 1516-30 जयपुर दिनांक 25.04.2017 के अनुसार प्रतिवर्तन (Reversion) कर चक 5 जैड मुख्या नं. 18 के किला नं. 7/1, 14/1, 17/1 व 24/1 प्रत्येक में 0.0767 हैक्टे. किला नं. 8/1 में 0.138 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. किला नं. 13 की 0.253 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. किला नं. 18 की 0.253 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. किला नं. 23 की 0.253 हैक्टे. में से 0.1265 हैक्टे. यथाकुल 0.8128 हैक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ से वापिस कृषि भूमि में प्रतिवर्तित (Revert Back) किया जाता है। प्रार्थी इस भूमि के संपरिवर्तन के लिये संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय की हकदार नहीं होगा।

नियमानुसार रिकार्ड में अमलदराजद किया जावे।

प्राधिकृत/अधिकारी
सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

क्रमांक :- प्रा.अ./यूआईटी/९०-ए/२०२४/ 1370-1274

दिनांक :- 26/4/24

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अवेपित की गयी-

1. तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर को पूर्वोक्त भूमि को आवेदक/पूर्व खातेदार के नाम पुनः नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
2. प्रभारी अधिकारी नियमन शाखा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
3. सहायक नगर नियोजक शाखा एवं भूमि अवापित शाखा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
4. भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरक्यू-12, रिद्धि रिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर (खातेदार)

प्राधिकृत अधिकारी
सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर